प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 2176/2024

मोहम्मद सिराज पिता स्वर्गीय मोहम्मद 19 वर्ष, निवासीसब्जी मंडी, चांटीडीह, मस्ताना मंदिर के पास, सरकारदा, पुलिस स्टेशन–सरकारदा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना, सरकार, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 90/2025

1 – श्रीमती. सरिता डेविड पति स्वर्गीय विनय डेविड 36 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, लोखंडी, पी एस. सकरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

2 – कू. विपासा डेविड आयु 18 वर्ष 07 माह, स्वर्गीय विनय डेविड, निवासी वार्ड नंबर 4, लोखंडी, पी. एस. सकरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना सरकंडा थाना प्रभारी के द्वारा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

दाण्डिक अपील सं 2176/2024 में अपीलार्थी हेतु :––श्री अजय चंद्र, अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 90/2025 में अपीलार्थी हेतु :––श्री पल्लव मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी हेतु :––श्री मलय जैन, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

16.06.2025

1. चूंकि उपर्युक्त दोनों अपीलें एक समान तथ्यात्मक मैट्रिक्स और एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह न्यायालय एक समान निर्णय द्वारा उनका निराकरन किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त दोनों आपराधिक अपीलें विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम), बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा विशेष प्रकरण (एनआईए) क्रमांक 55/2024 में पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश दिनांक 27.11.2024 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत पेश की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित तरीके से दोषी ठहराया गया है तथा दंड पारित किया गया है, साथ ही सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. की धारा 363/34	5 वर्ष का कठोर कारावास, 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं. सं. की धारा 366ए/34	5 वर्ष का कठोर कारावास, 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं. सं. की धारा 328/34	5 वर्ष का कठोर कारावास, 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न

	करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं. सं. की धारा 342/34	6 माह का कठोर कारावास, 100/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं. सं. की धारा 370/34	10 वर्ष का कठोर कारावास, 1000/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 29.11.2022 को नाबालिग पीड़िता (पीडब्लू–1) श्याम नगर लिंगियाडीह बिलासपुर काली मंदिर के पास स्थित घर में थी।नाबालिग पीड़िता (पीडब्लू–4) के पिता घर के अंदर कुछ काम कर रहे थे, तभी अभियुक्त विपाशा डेविड, अभियुक्त मोहम्मद सिराज के साथ घर आई और नाबालिग पीड़िता (पीडब्लू–1) को यह कहकर बहलाया कि आज अभियुक्त विपाशा डेविड के भाई का जन्मदिन है।इसके बाद, पीड़िता (पीडब्लू–1) अपनी माँ (पीडब्लू–3) और पिता (पीडब्लू–4) को बताए बिना ही अभियुक्त विपाशा डेविड के घर लोखंडी चली गई।अभियुक्त विपाशा डेविड और मोहम्मद सिराज, पीड़िता (पीडब्लू–1) को काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद लोखंडी स्थित अपने घर ले गए।इसी बीच, पीड़िता की माँ (पीडब्लू–3) ने अभियुक्त विपाशा डेविड की माँ, अभियुक्त सरिता डेविड और आरोपी मोहम्मद सिराज को फोन किया और पीड़िता (पीडब्लू–1) के बारे में जानकारी मांगी।फिर अभियुक्त सरिता डेविड ने कहा कि पीड़िता (पीडब्लू–1) उनके घर नहीं आई है।रात करीब 8–9 बजे अभियुक्त विपाशा डेविड और अभियुक्त सरिता डेविड ने जूस में कुछ मिलाकर पीड़िता (पीडब्लू–1) को पीने के लिए दिया।पीने के बाद पीड़िता (पीडब्लू–1) को चक्कर आने लगे।फिर अभियुक्त सरिता डेविड और विपाशा डेविड पीड़िता (पीडब्लू–1) को कमरे में ले गईं और उसे बिस्तर पर लिटा दिया।इसके बाद 21–22 वर्ष का एक अज्ञात व्यक्ति आया और पीड़िता (पीडब्लू–1) के साथ बलात्कार किया।आवाज़ देने पर अभियुक्त विपाशा डेविड और सरिता डेविड ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभियुक्त मोहम्मद सिराज और अभियुक्त सरिता डेविड ने पीड़िता (पीडब्लू–1) को धमकाया, जिसके कारण वह 30.11.2022 को भी घर नहीं गई।रात 11.30 बजे अभियुक्त विपाशा डेविड और अभियुक्त मोहम्मद सिराज ने पीड़िता (पीडब्लू–1) को एक्टिवा पर शनिचरी रपटा के पास छोड़ दिया।01.12.2022 को,पीड़िता की मां (पीडब्लू–3) ने पुलिस को बताया कि 29.11.2022 को दोपहर में अभियुक्त विपाशा डेविड और मोहम्मद सिराज घर आए और बिना किसी को बताए पीड़िता को अपने साथ ले गए।उक्त सूचना पर, सहायक उपनिरीक्षक दिनेश तिवारी (अ.सा.–9) ने रात्रि 11.30 बजे अभियुक्त विपाशा डेविड एवं मोहम्मद सिराज के विरुद्ध धारा 363 के अंतर्गत मु.अ.सं.–20 तथा धारा 363 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं.–5 दर्ज की। दिनांक 01.12.2022 को सायं लगभग 6–6.30 बजे पीड़िता (अ.सा.–1) घर पहुँची तथा अपनी माता (अ.सा.–3) एवं पिता (अ.सा.–4) को घटना की जानकारी दी।

4.दिनांक 01.12.2022 को पीड़िता (अ.सा.–1) को उसकी माता (अ.सा.–3) एवं पिता (अ.सा.–4) से पंचनामा एक्स पी/ –1 के अनुसार बरामद किया गया।घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद, साइट मैप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एक्स.पी–6 तैयार किया गया।पीड़िता की माँ से सहमति प्राप्त करने के बाद, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण प्रपत्र के साथ महिला आरक्षक क्रमांक 1303 जिज्ञासा कौशिक (पीडब्लू–6) के साथ मेडिकल परीक्षण के लिए CIMS बिलासपुर भेजा गया।डॉ. प्राची (पीडब्लू–2) ने पीड़िता की जाँच की और रिपोर्ट एक्स.पी–4 प्रस्तुत की। सहायक उपनिरीक्षक दिनेश तिवारी (पीडब्लू–9) ने जाँच के दौरान, महिला आरक्षक द्वारा अस्पताल से प्रस्तुत की गई पीड़िता की सीलबंद पैंटी, योनि स्लाइड और रक्त के नमूने को जब्ती ज्ञापन एक्स.पी–10 के अनुसार जब्त किया।अभियुक्त सरिता डेविड से ओप्पो और वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन और घटनास्थल पर रखे ताले की चाबी जब्त की गई।अभियुक्त मोहम्मद सिराज को प्र.पी.–28 के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है और प्र.पी.–28 के अनुसार परिवार को सूचना दे दी गई है।अभियुक्त सरिता डेविड और बिपाशा डेविड को प्र.पी.–25 और प्र.पी.–26 के अनुसार गिरफ्तार किया गया है।पीड़िता का लिखित बयान दर्ज करने के लिए पत्र प्र.पी.–30 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर को भेजा गया है।पीड़िता (पीडब्लू–1) का लिखित बयान प्र.पी.–3 के अनुसार दर्ज किया गया है।पटवारी द्वारा स्थल मानचित्र तैयार करवाने के संबंध में तहसीलदार, सकरी को ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी–14) भेजा गया है।पटवारी अशोक ध्रुव (अ.प.–7) ने प्रत्यक्ष पी–7 के माध्यम से स्थल मानचित्र सह पंचनामा तैयार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अन्वेषण के दौरान, सहायक उपनिरीक्षक दिनेश तिवारी (अ.प.–9) ने प्रधानाध्यापिका श्रीमती वीणा शर्मा (अ.प.–8) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पीड़िता का दाखिल खारिज रजिस्टर प्रत्यक्ष पी–17 के माध्यम से जब्त किया।घटना की तिथि पर अभियुक्तों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर, एसडीआर और टावर डंप लोकेशन प्राप्त करने के लिए पत्र (प्रत्यक्ष पी–21) भेजा गया है।इस मामले में, जब्त की गई संपत्तियों को पुलिस अधीक्षक प्रत्यक्ष पी–22 के ज्ञापन के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजा गया है। जब्ती किए गए रक्त के नमूने को पुलिस अधीक्षक प्रत्यक्ष पी–23 के ज्ञापन के माध्यम से परीक्षण हेतु सिम्स बिलासपुर भेजा गया है।एफएसएल में माल जमा करने की रसीद प्रदर्श पी.24 है।

6. अन्वेषण के दौरान, निरीक्षक दुर्गा किरण पटेल (पीडब्लू 5) ने पीड़िता (पीडब्लू–1) का बयान पीड़िता की मां (पीडब्लू–3) की उपस्थिति में दर्ज किया।इसके बाद, अन्वेषण पूरी करने के बाद, आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।दिनांक 07.06.2024 को, मामला विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम), बिलासपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

7. अभियुक्त सरिता डेविड, विपासा डेविड और मोहम्मद सिराज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34, 366 सी/34, 328/34, 342/34, 370/34 के तहत आरोप लगाए गए और अभियुक्त मोहम्मद सिराज पर भा.दं. सं. की धारा 376 डीए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) की धारा 6 के तहत भी आरोप लगाए गए।उन्होंने अपराध करने से इनकार किया है और कहा है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव में कोई साक्ष्यों पेश नहीं किया है।

8. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन मे पीड़िता (पीडब्लू–1), डॉ. प्राची (पीडब्लू–2), पीड़िता की माँ (पीडब्लू–3), पीड़िता के पिता (पीडब्लू–4), निरीक्षक दुर्गा किरण पटेल (पीडब्लू–5), महिला कांस्टेबल क्रमांक 1303 जिज्ञासा कौशिक (पीडब्लू–6), पटवारी अशोक ध्रुव (पीडब्लू–7), प्रधानाध्यापिका वीणा शर्मा (पीडब्लू–8), सहायक उपनिरीक्षक दिनेश तिवारी (पीडब्लू–9) कि परीक्षा की है।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद सिराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी करते हुए, आरोपी/अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया है।इसलिए, ये अपीलें प्रस्तुत किया गया है।10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह समझने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की वास्तविक आयु साबित नहीं कर पाया है कि घटना दिनांक पर वह 18 वर्ष से कम आयु की थी और वह अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में भी विफल रहा है।यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता को उसके वैध संरक्षकत्व से कभी अगवा नहीं किया और न ही उन्होंने पीड़िता को कहीं हिरासत में रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हालाँकि पीड़िता 29.11.2022 से लापता थी और उसकी माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट 01.12.2022 को दर्ज कराई थी, अर्थात दो दिन बाद और उसी दिन पीड़िता स्वयं अपने घर वापस आ गई। उन्होंने तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि पीड़िता (पीडब्लू–1) और सह–अभियुक्त कु. विपासा डेविड तथा श्रीमती सरिता डेविड एक–दूसरे को अच्छी तरह से जानती थीं और पूर्व मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण, पीड़िता स्वयं कु. विपासा डेविड के साथ गई थी, लेकिन वे मानव तस्करी में कहीं भी शामिल नहीं थीं।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल हितबद्ध साक्षी अर्थात् पीड़िता, उसकी माँ और उसके पिता के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में त्रुटि की है, जबकि उनके बयानों में भौतिक विरोधाभास और चूक हैं।पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी विपासा अकेले उसके घर आई थी और वह विपासा के साथ महामाया चौक तक आई, जहां से वे आरोपी मोहम्मद सिराज की एक्टिवा में विपासा के घर गए, जबकि पीड़िता के पिता के बयान के अनुसार, तीनों आरोपी उनके घर आए थे और यह कहकर कि आरोपी विपासा डेविड के भाई का जन्मदिन है, वे उसे बताए बिना उसकी बेटी को ले गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं को कथित अपराधों के तहत दोषी ठहराने के लिए कोई पुष्टिकारक या निर्णायक सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, जो स्कूल के प्रवेश एवं डिस्चार्ज रजिस्टर प्र. पी/19 सी से सिद्ध होता है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 08.04.2009 दर्ज है और पीड़िता ने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उसकी जन्मतिथि 08.04.2009 है।यद्यपि पिता और माता ने कहा है कि उन्हें पीड़िता की जन्मतिथि याद नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी आयु लगभग 13–14 वर्ष थी।पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल रजिस्टर स्वीकार्य साक्ष्य है।इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई वैधता

या त्रुटि नहीं है।पीड़िता का अपीलकर्ताओं द्वारा अपहरण किया गया था और उसे वैध संरक्षकता से दूर रखा गया था।अपीलकर्ताओं ने उसे काफी समय तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा और उसे जूस पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने लगे और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया। इसलिए, दोषसिद्धि और दंड के आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

13. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना न्यायोचित है?

14. अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो अपहरण के लिए दंडनीय है।अपहरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के तहत परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार, अपहरण दो प्रकार का होता है:भारत से अपहरण और वैध संरक्षकता से अपहरण।भारतीय दंड संहिता की धारा 361 वैध संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:––

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"361. वैध संरक्षकता से अपहरण।जो कोई किसी अवयस्क को, यदि वह पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम आयु का, या यदि वह स्त्री है तो अठारह वर्ष से कम आयु का, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिक संरक्षक की रखवाली से, ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या फुसलाता है, वह ऐसे अवयस्क या विधिक संरक्षकता से व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।"

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 359 का उद्देश्य कम से कम उतना ही है जितना कि नाबालिगों या पागल व्यक्तियों की वैध देखभाल या अभिरक्षा करने वाले माता–पिता और अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। धारा 361 में चार तत्व हैं:––

(1) किसी नाबालिग या विकृत चित्त वाले व्यक्ति को ले जाना या फुसलाना।
(2) यदि नाबालिग पुरुष है तो उसकी आयु सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए, या यदि महिला है तो उसकी आयु अठारह वर्ष से कम होनी चाहिए।
(3) ले जाना या फुसलाना ऐसे नाबालिग या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख में नहीं होना चाहिए।
(4) इस तरह का लेना या लुभाना ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।जहां तक नाबालिग लड़की को वैध संरक्षकता से अपहरण करने का संबंध है, इसके अवयव इस प्रकार हैं:––

(i) लड़की की आयु 18 वर्ष से कम थी; (ii) नाबालिग लड़की वैध संरक्षक के संरक्षण में थी, और (iii) अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को ऐसे संरक्षण से बाहर ले जाया या छोड़ने के लिए प्रेरित किया और ऐसा अपहरण वैध संरक्षक की सहमति के बिना किया गया था।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के उद्देश्य पर विचार करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर देता है कि यद्यपि नाबालिग के पिता के संरक्षण में जाने से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, फिर भी उसने किसी पूर्व चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए प्रेरित या राजी किया था और यह माना कि यदि इनमें से किसी एक बात को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है, तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त नाबालिग को वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर ले जाने का दोषी है और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:– "हालांकि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि यद्यपि नाबालिग के पिता के संरक्षण को छोड़ने से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, फिर भी उसने पहले किसी चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था। यदि इनमें से किसी एक बात को स्थापित करने के लिए सबूत का अभाव है तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त नाबालिग को वैध अभिभावक की देखभाल से बाहर निकालने का दोषी है, केवल इसलिए कि वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या उस घर को छोड़कर, जहाँ उसके अभिभावक ने उसे रखा था, अभियुक्त के साथ शामिल हो गई और अभियुक्त ने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ ले जाकर उसके अभिभावक के घर वापस न लौटने के उसके इरादे में उसकी मदद की।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की के इरादे को पूरा करने में सहायता के रूप में माना जा सकता है। परंतु वह हिस्सा नाबालिग को अपने वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर निकलने के लिए एक प्रलोभन से कम है तथा इसलिए, "लेने" के समान नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भा.दं. सं. की धारा 361 के तहत अपराध के तत्वों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, जो भा.दं. सं. की धारा 363 के तहत दंडनीय है और साथ ही एस वरदराजन (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पीड़िता स्वयं अपने पिता को सूचित किए बिना आरोपी विपाशा डेविड के साथ गई थी, जो उस समय घर पर बताए गए हैं और उसके बाद, वे आरोपी मोहम्मद सिराज की एक्टिवा में आरोपी विपाशा डेविड के घर गए थे और फिर से आरोपी मोहम्मद सिराज से एक्टिवा लेने के बाद, पीड़िता और आरोपी विपाशा डेविड दोनों विपाशा के दोस्त के घर टहलने गए थे और उसके बाद, अपने घर जाने के बजाय, पीड़िता खुद देर रात को आरोपी विपाशा के घर चली गई थी।इस प्रकार, अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी समय पीड़िता को उसके माता–पिता का साथ छोड़ने के लिए प्रेरित किया हो या उसे इसके लिए राजी किया हो। दूसरी ओर, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि पीड़िता स्वयं अपीलकर्ताओं के साथ गई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा पीड़िता को उसके माता–पिता की वैध संरक्षकता छोड़ने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है।इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अपीलकर्ताओं का कार्य/चूक, यदि कोई हो,

एस. वरदराजन (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में आईपीसी की धारा 361 के अर्थ में "लेने" के समान नहीं होगा।इसी प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहकाने का कोई साक्ष्य नहीं है।इस प्रकार, विचारण न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 363/34 के तहत अपराध हेतु अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में पूरी तरह से अनुचित है।

18. विचारणीय अगला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 366 ए/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना न्यायोचित है?

19. डॉ. प्राची (पीडब्लू-2), जिन्होंने पीड़िता की मेडिकल जांच की, ने कहा है कि पीड़िता के शरीर के बाहरी या आंतरिक भाग पर कोई चोट नहीं थी और उन्होंने आगे कहा है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता के साथ कोई बलात्कार की घटना हुई थी या नहीं।इसके अलावा, मूत्र गर्भावस्था परीक्षण भी नकारात्मक पाया गया।इसके अलावा, हालांकि पीड़िता से बरामद कपड़े और उसके रक्त के नमूने एफएसएल को भेजे गए थे, लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. पीड़ित लड़की के साक्ष्य के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित लड़की बिना किसी प्रलोभन या प्रभाव के अभियुक्त के साथ थी।बिना किसी प्रलोभन के किसी व्यक्ति के साथ जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता। हालाँकि, विद्वान पैनल वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की की आयु सिद्ध कर दी गई है और वह घटना के दिन नाबालिग है, फिर भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए के अंतर्गत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, दो अन्य आवश्यक तत्व आवश्यक हैं: पीड़ित लड़की को अभियुक्त द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए और अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे किसी स्थान से जाने या कोई ऐसा कार्य करने के लिए इस आशय से प्रेरित किया जाना चाहिए कि ऐसी लड़की को यह पता हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए के अंतर्गत अपराध के तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, हमारी यह राय है कि निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 366/34 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है।

21. विचारणीय अगला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 328/34 के अंतर्गत अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए दो आवश्यक तत्वों को उचित संदेह से परे स्थापित करना आवश्यक है, अर्थात् विष या बेहोश करने वाले या अस्वास्थ्यकर पदार्थ या औषधि का प्रशासन और चोट पहुंचाने का आसय या यह ज्ञान कि इससे उस व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना है जिसे पदार्थ या औषधि दी गई है।इस मामले में पदार्थ या दवा देने का अपना परिणाम था, जो अपीलकर्ताओं को अक्षम बनाने की प्रकृति का था, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत दंडनीय अपराध का दूसरा घटक पूरा हो गया। दूसरा घटक चोट या क्षति पहुँचाने या अपराध करने या

अपराध को सुविधाजनक बनाने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ कि इस कृत्य से चोट पहुँचने की संभावना है, जहर या बेहोश करने वाला पदार्थ आदि देने से संबंधित है।भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, चोट शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता है।अचेतनता किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो उसे इस अर्थ में पूरी तरह से अक्षम कर देती है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। शब्दकोश में 'दुर्बलता' का अर्थ शारीरिक या मानसिक दुर्बलता है (**देखें: संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, भारतीय संस्करण, पृष्ठ 729**)।यदि शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या दोनों किसी व्यक्ति को अशक्त बनाते हैं, तो उसकी अचेत अवस्था उसे और भी अधिक अशक्त बना देगी।इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विष, मूर्च्छित करने वाले पदार्थ आदि के माध्यम से अचेत करना चोट पहुँचाने के समान है।

23. इस मामले में, नाबालिग पीड़िता ने कहा था कि उसे जूस के साथ कोई नशीला पदार्थ दिया गया था, जिससे वह बेहोश हो गई और इसलिए उसके साथ बलात्कार किया गया। अभियोजन पक्ष ने परीक्षण के लिए उसका खून भी लिया था, फिर भी अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़िता के मामले का समर्थन नहीं करती है और अपीलकर्ताओं से किसी भी मादक दवा के संबंध में कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में भी विफल रहा है, जिसने नाबालिग पीड़िता के साथ कथित रूप से बलात्कार का अपराध किया था, इस तथ्य के बावजूद कि पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयान में उसका नाम बताया था। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 328/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना बिल्कुल अनुचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 342/34 के तहत भी दोषी ठहराया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 गलत तरीके से कारावास के अपराध से संबंधित है।जैसा कि पहले चर्चा की गई थी कि पीड़िता स्वयं अभियुक्त विपाशा डेविड के साथ गई थी और अपने पिता, जो घर पर थे, को बताए बिना उसके साथ गई थी और पीड़िता अभियुक्त मोहम्मद सिराज की एक्टिवा में खुलेआम घूम रही थी, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता को गलत तरीके से बंधक बनाया गया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 342/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है।

25. इस मामले में, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 370/34 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370(1) तस्करी के अपराध को इस प्रकार परिभाषित करती है:---

"370(1):– जो कोई शोषण के उद्देश्य से, (क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है, (ग) शरण देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ङ) प्राप्त करता है, –

प्रथम– धमकी देकर, या

द्वितीय— बल का उपयोग करना, या किसी अन्य प्रकार की प्रपीड़न, या

तीसरा :-अपहरण द्वारा, या

चौथा:-धोखाधड़ी या छल करके, या

पाँचवाँ:- शक्ति के दुरुपयोग से, या

छठा :- भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण या प्राप्त किए गए व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित, प्रलोभन द्वारा, तस्करी का अपराध किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1."शोषण" शब्द में शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता या दासता, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी कोई भी क्रिया शामिल होगी।

स्पष्टीकरण 2— तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति असंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें शोषण का तत्व अवश्य होना चाहिए।ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण में 'शोषण' शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:---

" शोषण।शोषण, उपयोग या निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया।उद्योग, तर्क, या अन्य साधनों के प्रयोग द्वारा उपयोग, जैसे किसी खदान या जंगल का शोषण।स्टेट फाइनेंस कंपनी बनाम हैमाकर, 171 वाश 15, 17 पृ.2d 610,613।अपने फायदे या लाभ के लिए किसी दूसरे का अनुचित लाभ उठाना (जैसे, अवैध विदेशियों को कम वेतन देना)।

27. इसी प्रकार, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ़ कंटेम्परेरी इंग्लिश संस्करण में "शोषण" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"शोषण (1) एक ऐसी स्थिति जिसमें आप किसी से अपने लिए काम करवाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, लेकिन बदले में उसे बहुत कम देते हैं - इसका प्रयोग अस्वीकृति दर्शाने के लिए किया जाता है: [+का] फिल्म उद्योग महिलाओं के यौन शोषण पर फलता-फूलता है।

(2) व्यापार या उद्योग के लिए खनिजों, जंगलों, तेल आदि का विकास और उपयोग: [+का] संसाधनों का नियंत्रित दोहन | वाणिज्यिक/आर्थिक शोषण 3 किसी चीज़ का पूर्ण और प्रभावी उपयोग:
[+का] इन आंकड़ों का अधिक दोहन (4) किसी स्थिति से जितना हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयास, कभी-कभी अनुचित तरीके से:[+राजनीतिक उद्देश्यों हेतु धर्म का शोषण। "

28. इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की व्याख्या (1) शोषण की व्याख्या करती है, जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी जैसी प्रथाएँ, दासता या अंगों को जबरन निकालना शामिल है।

29. साक्ष्यों से हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे पता चले कि पीड़िता का शोषण हुआ था। किसी भी साक्षी ने शोषण के बारे में नहीं बताया।यह स्वीकार किया जाता है, यह न तो यौन उत्पीड़न का मामला है और न ही अपीलकर्ताओं द्वारा पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार का मामला है।। इसके अलावा, पीड़िता स्वयं अपने पिता को सूचित किए बिना आरोपी विपाशा डेविड के साथ गई थी, जो उस समय घर पर बताए गए हैं और उसके बाद, वे अभियुक्त मोहम्मद सिराज की एक्टिवा पर अभियुक्त विपाशा डेविड के घर गए थे और फिर से अभियुक्त मोहम्मद सिराज से एक्टिवा लेने के बाद, पीड़िता और अभियुक्त विपाशा डेविड दोनों विपाशा की दोस्त के घर टहलने गए थे और उसके बाद, अपने घर जाने के बजाय, पीड़िता देर रात खुद अभियुक्त विपाशा के घर चली गई थी।उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपरोक्त विधिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप, दाण्डिक अपील को अनुमति दी जाती है और विशेष प्रकरण (एनआईए) क्रमांक 55/2024 में विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम), बिलासपुर (सीजी) द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 363/34, 366ए/34, 328/34, 342/34 और 370/34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और दंड पारित किया गया था ।अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।अपीलकर्ता 25.03.2019 से जेल में हैं।यदि किसी अन्य दाण्डिक प्रकरण में उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।

31. दं. प्र. सं. कि धारा 437–ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित धारा 45 के अनुसार 25000/– रुपये (प्रत्येक) की राशि के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष समान राशि के 2 विश्वसनीय जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही एक वचनबद्धता भी होगी कि तत्काल निर्णय के खिलाफ या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता उस पर नोटिस प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

32. इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)

सही/–
(रमेश सिन्हा)

न्यायाधीश **मुख्य न्यायाधीश**

हेड–नोट :––

शोषण के संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में मानव तस्करी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तों पर वाद चलाने के लिए केवल संदेह ही पर्याप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur